तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–
श्री जगदम्बा प्रसाद माथुर, अभि0 प्रार्थी
श्री करण सिंह गुर्जर, अभि0 अप्रार्थी

दिनांक : 14.12.2023

निर्णय

यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह द्वारा प्रकरण संख्या 26 / 2005 में पारित आदेश दिनांक 1–9–2005 के विरूद्ध धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि मु0 रामकंवरी ने एक राजस्व वाद संख्या 26 / 05 दिनांक 14–3–2005 को उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह के समक्ष प्रस्तुत किया। दौराने दावा दिनांक 22–8–2005 को वादीगण / अप्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सीपीसी प्रस्तुत कर मौका कमिश्नर नियुक्त करने का निवेदन किया। दिनांक 22–8–2005 को नकल प्रति प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण / प्रतिवादी सं. 1 व 2 को दी गई और पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 1–9–2005 को रखी गई। दिनांक 1–9–2005 को पीठासीन अधिकारी ने जवाब का इन्तजार किए बिना प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए बिना एकतरफा में वादीगण / अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 1–9–2005 को स्वीकार कर लिया। उपखण्ड अधिकारी ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि जहां कानून में प्रावधान किये हैं वहां अर्न्तनिहित शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उपखण्ड

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिकारी ने इस पर भी गौर नहीं किया कि अप्रार्थीगण द्वारा दायर वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के तथ्य एक दूसरे से भिन्न आधार लिए हुए हैं। प्रार्थना पत्र टीआई में 1992 में विवादित खसरा नंबर खरीद करना बता रहे हैं जबकि 1992 से अब तक 2005 तक कोई नामान्तरकरण, जमाबंदी, विक्रय पत्र, गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की, ना ही कोई चाराजोही की गई है। इस प्रकार मौका कमिश्नर के जरिये अवांछित लाभ लेना चाहते है, जो अन्यायपूर्ण है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–9–2005 निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि मौका कमिश्नर नियुक्त करना न्यायालय के स्वविवेक पर निर्भर करता है। आदेश 26 नियम 9 सीपीसी के तहत न्यायहित में पक्षकारान के मध्य वास्तविक वाद की विषय वस्तु को समझने व सही रूप से निपटाने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त करने का न्यायालय को अधिकार प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने न्यायिक विवेक का सही प्रकार से उपयोग कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सीपीसी को स्वीकार किया है, जो न्यायसंगत है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने 2012 (2)RRT 1210, 2011-12 (Supp.) RRT 500, 2014-2015 (Supp.) RRT 498, 2004 (2) 882, 2020 (2) RRT 644, 2016(2) RRT 904, 2011(1) RRT 29 के न्यायिक दृष्टांत उद्धृत किये। बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 1–9–2005 द्वारा अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 26 नियम 9 सीपीसी को स्वीकार करते हुए तहसीलदार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	टोडारायसिंह को मौका कमिश्नर नियुक्त किया है। आदेश 26 नियम 9 सीपीसी के तहत न्यायहित में पक्षकारान के मध्य वास्तविक वाद की विषय वस्तु को समझने व सही रूप से निपटाने हेतु न्यायालय को मौका कमिश्नर नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। हमने अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। 2012 (2) RRT 1210 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया है– "Code of Civil Procedure, 1908- Order 26, Rule 9 & Order 39, Rule 7- Application for appointment of Commissioner was allowed & Tehsildar was appointed as commissioner & directed to submit the report as per the revenue record- Dispute regarding situation of land in question- court has power to appoint commissioner for just decision of the case-Held, No illegality or jurisdictional error in the order & upheld." 2011-12 (Supp.) RRT 500 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया है– "Code of Civil Procedure, 1908- Order 26, Rule 9- Appointment of Commissioner-Application allowed- No documentary evidence-site picture was not clear & the report of the Commissioner found necessary-Held, No jurisdictional error in the order." 2014-15 (Supp.) RRT 498 में मण्डल की माननीय एकलपीठ ने निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया है– "Code of Civil Procedure, 1908- Order 26, Rule 9- Tehsildar was appointed Mauka commissioner in application u/Sec. 212- Commissioner should not be appointed to Collect the evidence- Suit for partition- Report of Mauka Commissioner can be taken if it helpful for adjudication of the controversy- Held, No error in the order." 2016 (2) RRT 904 में मण्डल की माननीय एकलपीठ ने निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया है– "Code of Civil Procedure, 1908- Order 26, Rule 9- Rajasthan Land Revenue Act, 1956-Sec. 126-Naib	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	Tehsildar was appointed as Commissioner & Summoned the present report of the site-Commissioner was appointed for just decision of the case-Discretion exercised judiciously-Held, No illegality in the order." उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मामले के न्यायसंगत निर्णय हेतु कमिश्नर नियुक्त करने की न्यायालय को शक्ति है एवं जिसके परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने न्यायिक विवेक का सही रूप से उपयोग कर अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सीपीसी को स्वीकार किया है, जो न्यायसंगत है। हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–9–2005 से सहमत हैं एवं उसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह निगरानी खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–9–2005 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)** **सदस्य**	